

08.08.2024:—पत्रावली पेशी मे ली गइ। उभयपक्ष उपस्थित।
उभयपक्ष के निवेदन पर सुना गया। पत्रावली का
अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध
साक्ष्य/सबूत एव अधिवक्ता की बहस को मध्यनजर
रखते हुए। प्रार्थना पत्र निर्णय किया जाकर खुले
न्यायालय मे सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली
किया गया। निर्णय कि पालना मे तहसीलदार
हनुमानगढ को पत्र जारी किया जाकर कर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर
बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।



(Handwritten signature in blue ink)